

3/3/24

पञ्जाबली मानवीय न्यायालय RAA
 रोक से प्राप्त हुई। अल्लोकन
 किया गया। वही का नर पुत्र
 में खारिज हो चुका है अतः
 TIF प्रमाण चलने का कोई
 औचित्य नहीं है। लिहाजा
 प्रार्थन का प्रमाण खारिज
 किया जाता है पञ्जाब हुक्म
 होकर गन्धर्व प्रकाश हो जाय
 शांति होना है।

म